**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1064**

**दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**आयुष्मान आरोग्य मंदिर**

**†1064. श्री केसिनेनी शिवनाथः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वीकृत और कार्यशील आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) की कुल संख्या राज्यवार और आंध्र प्रदेश के लिए जिलावार कितनी है;

(ख) एएएम के लिए आवंटित और जारी की गई राशि राज्यवार और आंध्र प्रदेश के लिए ज़िलावार कितनी है;

(ग) वर्तमान में एएएम के रूप में उन्नत किए जा रहे उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या राज्यवार और आंध्र प्रदेश के लिए ज़िलावार कितनी है;

(घ) कार्यशील एएएम में स्वीकृत और रिक्त पदों की कुल संख्या राज्यवार और आंध्र प्रदेश के लिए जिलावार कितनी है;

(ङ) राज्यवार और आंध्र प्रदेश के लिए ज़िलावार कितने एएएम ने सुदृढ़ आईटी प्रणालियाँ लागू की हैं;

(च) क्या सरकार ने कार्यशील एएएम की अवसंरचनात्मक स्थिति की कोई संपरीक्षा की है; और

(छ) यदि हाँ, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (ग): आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पोर्टल के अनुसार, 15.07.2025 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश सहित देश भर में प्रचालित एएएम की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक **-I** में संलग्न है। 15.07.2025 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश में प्रचालित एएएम की जिला-वार संख्या अनुलग्नक**-II** में संलग्न है।

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आंध्र प्रदेश सहित एएएम के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदन का विवरण अनुलग्नक **-III** में संलग्न है।

(घ): हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) (अवसंरचना और मानव संसाधन), 2022-23 एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। आंध्र प्रदेश सहित देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (एएएम) सहित स्वास्थ्य कर्मियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:
https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

(ङ): कुशल सेवा प्रदायगी और डेटा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, कार्यशील एएएम मज़बूत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों से सुसज्जित हैं। इन प्रणालियों में वास्तविक समय पर डेटा प्रविष्टि, सेवा ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग का समर्थन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर अवसंरचना शामिल है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस), ई-संजीवनी, राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) पोर्टल और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल जैसे प्रमुख डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य सेवा मापदंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह डिजिटल पारितंत्र सुविधा केंद्र , ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निर्बाध निगरानी, मूल्यांकन और साक्ष्य-आधारित योजना को सक्षम बनाता है, जिससे जवाबदेही मज़बूत होती है और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी की समग्र दक्षता में वृद्धि होती है।

(च) और (छ): एनएचएम के अंतर्गत, एएएम सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के निष्पादन का समीक्षा बैठकों, प्रमुख कार्यों की मध्यावधि समीक्षा, वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरे, सेवा प्रदायगी के लिए मानक स्थापित करके निष्पादन संबंधी कार्य को बढ़ावा देना और उपलब्धियों को पुरस्कृत करना आदि के माध्यम से नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के विभिन्न संकेतकों का नियमित रूप से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) और नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) जैसे बाह्य सर्वेक्षणों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एनएचएम के अंतर्गत, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए प्रतिवर्ष सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं।

****

**अनुलग्नक - I**

15.07.2025 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश सहित देश भर में प्रचालित एएएम की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या:

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **प्रचालित एएएम की कुल संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 129 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 11862 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 491 |
| 4 | असम | 4961 |
| 5 | बिहार | 10335 |
| 6 | चंडीगढ़ | 60 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 5887 |
| 8 | दिल्ली | 63 |
| 9 | डीएनएच और डीडी | 95 |
| 10 | गोवा | 302 |
| 11 | गुजरात | 10657 |
| 12 | हरियाणा | 3263 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 2651 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 3142 |
| 15 | झारखंड | 4122 |
| 16 | कर्नाटक | 10116 |
| 17 | केरल | 7105 |
| 18 | लद्दाख | 321 |
| 19 | लक्षद्वीप | 13 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 12346 |
| 21 | महाराष्ट्र | 12546 |
| 22 | मणिपुर | 420 |
| 23 | मेघालय | 617 |
| 24 | मिजोरम | 412 |
| 25 | नागालैंड | 470 |
| 26 | ओडिशा | 7360 |
| 27 | पुदुचेरी | 127 |
| 28 | पंजाब | 3128 |
| 29 | राजस्थान | 11539 |
| 30 | सिक्किम | 184 |
| 31 | तमिलनाडु | 8454 |
| 32 | तेलंगाना | 5052 |
| 33 | त्रिपुरा | 1134 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 22999 |
| 35 | उत्तराखंड | 2358 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 13433 |
| **कुल** | | **1,78,154** |

**अनुलग्नक - II**

15.07.2025 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में प्रचालित एएएम की जिलावार संख्या:

| क्र.सं. | ज़िला | प्रचालित एएएम की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1. | कोनासीमा | 489 |
| 2. | अनकापल्ली | 484 |
| 3. | अल्लूरी सीताराम राजू | 358 |
| 4. | काकीनाडा | 477 |
| 5. | पार्वतीपुरम मान्यम | 325 |
| 6. | एलुरु | 546 |
| 7. | एनटीआर | 336 |
| 8. | श्री सत्य साईं | 443 |
| 9. | तिरुपति | 528 |
| 10. | अन्नमय्या | 436 |
| 11. | नांदयाल | 444 |
| 12. | बापतला | 423 |
| 13. | पालनाडु | 434 |
| 14. | एसपीएसआर नेल्लोर | 587 |
| 15. | चित्तूर | 531 |
| 16. | अनंतपुर | 505 |
| 17. | कुरनूल | 495 |
| 18. | वाईएसआर | 469 |
| 19. | गुंटूर | 290 |
| 20. | पूर्वी गोदावरी | 418 |
| 21. | पश्चिम गोदावरी | 422 |
| 22. | कृष्णा | 430 |
| 23. | प्रकाशम | 627 |
| 24. | श्रीकाकुलम | 681 |
| 25. | विजयनगरम | 554 |
| 26. | विशाखापत्तनम | 130 |
| | **कुल** | **11,862** |

**अनुलग्नक - III**

**वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक एनएचएम के तहत एएएम के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एसपीआईपी अनुमोदन**

**(लाख रुपये में)**

| क्रम सं. | राज्य | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 15.00 | 10.50 | 59.13 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 4,089.10 | 3,745.65 | 7,912.25 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1,119.21 | 883.71 | 5,641.73 |
| 4 | असम | 23,445.27 | 18,267.63 | 7,807.13 |
| 5 | बिहार | 52,749.20 | 4,026.16 | 6,588.81 |
| 6 | चंडीगढ़ | 124.82 | 124.82 | 177.82 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 16,633.63 | 8,478.83 | 7,296.47 |
| 8 | दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव | 8.59 | 8.59 | 27.44 |
| 9 | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | गोवा | 512.89 | 53.09 | 353.11 |
| 11 | गुजरात | 13,178.54 | 8,252.56 | 20,988.58 |
| 12 | हरियाणा | 11,399.68 | 5,971.04 | 10,529.50 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 928.75 | 226.99 | 3,934.48 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 3,657.24 | 3,070.74 | 3,218.48 |
| 15 | झारखंड | 25,173.69 | 11,763.54 | 10,572.72 |
| 16 | कर्नाटक | 42,721.29 | 13,716.82 | 2,970.04 |
| 17 | केरल | 18,111.82 | 26,520.10 | 3,756.14 |
| 18 | लक्षद्वीप | 3.55 | 1.99 | 14.00 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 19,073.02 | 31,381.22 | 27,564.85 |
| 20 | महाराष्ट्र | 36,566.83 | 13,564.63 | 21,122.26 |
| 21 | मणिपुर | 1,114.70 | 1,100.70 | 1,796.43 |
| 22 | मेघालय | 2,741.67 | 717.12 | 1,586.66 |
| 23 | मिजोरम | 755.57 | 671.08 | 574.09 |
| 24 | नागालैंड | 660.61 | 785.47 | 1,053.65 |
| 25 | ओडिशा | 15,286.40 | 13,418.93 | 15,178.49 |
| 26 | पुदुचेरी | 269.75 | 258.95 | 242.48 |
| 27 | पंजाब | 4,613.92 | 1,772.53 | 3,207.89 |
| 28 | राजस्थान | 17,212.36 | 17,212.36 | 7,498.70 |
| 29 | सिक्किम | 110.21 | 98.65 | 38.69 |
| 30 | तमिलनाडु | 8,096.81 | 4,339.34 | 163.70 |
| 31 | तेलंगाना | 5,202.87 | 5,853.78 | 3,454.81 |
| 32 | त्रिपुरा | 4,421.36 | 671.46 | 639.65 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 74,968.69 | 1,78,616.62 | 1,07,535.86 |
| 34 | उत्तराखंड | 7,214.59 | 2,143.06 | 4,523.07 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 20,608.22 | 12,605.01 | 16,173.90 |
| 36 | लद्दाख | 1,870.85 | 633.80 | 912.02 |

टिप्पण:

1. उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।

*****